

30/6
18

पहावली आज केम कोर्ट उदयपुरवादी के पेश है।
पहावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि
को लेकर उभयपक्षों के मध्य अनिवार्य विकास
एवं सुकडमा जारी नहीं करें। इसके लिये जार्जिन
पत्र आस्थाई निवेद्यादा के वाड पत्र के विस्तारण
तब कन्फर्म किया जाता है। पहावली केसल भुगत
दोवर नम्बर से कर हो तथा भूल वाड पत्र के साथ
संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (सुपरी)